न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 1/2018

1. अमरलाल
2. सूरजमल
3. नेमीचंद
4. रमेशचन्द्र

} पिसरान माधोलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम रंगबाडी कोटा जर्ये मुख्तार आम अशोक कुमार पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल हाल मुकाम रंगबाडी कोटा जिला कोटा

5. अशोक कुमार पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी उत्सव वाटिका रंगबाडी कोटा

....अपीलांट

♠ बनाम ♠

1. सरपंच साहब ग्राम पंचायत बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. रमेशचन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति मेहर निवासी ग्राम रोझडी पो0 राज0 टेक्नीशियन युनिवर्सिटी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
3. कैलाश बाई बेवा रामकरण जाति मेहर सी/ओ चन्द्रेश श्रंगी भवन नन्दफ्लोर मील के सामने कुम्हारो का मोहल्ला छावनी कोटा
4. वर्षा पुत्री ओमप्रकाश जर्ये संरक्षक वली नानी कैलाशबाई जाति मेहर निवासी श्रंगी भवन, नन्द फ्लोर मील के सामने गली कुम्हारो का मोहल्ला छावनी कोटा जिला कोटा

....रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश व तस्दीक इंतकाल नं0 1027

दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत बोहत तह0 मांगरोल

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील अपीलान्टस : श्री महेन्द्र सिंह हाडा बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 08.01.2018

निर्णय दिनांक : 22.03.2018

अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने इ0 नं0 1027 दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध अपील पेश कर कथन किया कि मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर इन्तकाल तस्दीक कर दिया, रेस्पोडेन्टस ने ग्राम अयाना जिला कोटा मे कभी भी निवास नही किया है, रेस्पोडेन्टस क्रम 2 ग्राम रोझडी तह0 लाडपुरा जिला कोटा व रेस्पोडेन्टस क्रम 3 छावनी कोटा में निवास कर रही है। रेस्पोडेन्टस क्रम 4 नाबालिग है ओर कोटा अपनी नानी के पास निवास करती है, हल्का पटवारी ने गलत वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर इंतकाल तस्दीक कर दिया जबकि हल्का पटवारी को चाहिए था कि रेस्पोडेन्ट जहां रहते है, वहां से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी।

इस प्रकार की अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेंट को तलब किया गया, जर्ये रजिस्टर ऐ0डी0 सूचना भेजने पर भी कोई भी रेस्पोडेंट न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। अतः उनके

Web Copy - Not Official

विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कार्यवाही अमल में लाई जाकर विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। धारा 5 मियाद अधिनियम का भी अवलोकन किया गया धारा 5 के प्रमाण पत्र से संतुष्ट होते हुए देरी कन्डोन की जाती है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो अपील पैरो में अंकित है तथा मुख्य रूप से बहस में बताया है कि रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 ने ग्राम अयाना व ग्राम भटवाडा में निवास नही किया है रेस्पोडेन्ट को चाहिऐ था कि अपने अधिवक्ता अधिकारो की घोषणा वाद दायर करवाए। सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारो की घोषणा करवावे।

न्यायालय वकील अपीलान्टस की बहस से न्यायालय संतुष्ट है अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि इन्तकाल नं0 1027 दिनांक 20.09.2017 ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का बोहत तहसील मांगरोल खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल को उभयपक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार मांगरोल को प्रेषित की जावे तथा निर्णय अनुसार इन्तकाल नं0 1027 व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी भगवानपुरा तह0 मांगरोल पर इन्तकाल खारिज का नोट अंकित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गय